मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1738/2343/2015/ई/चार भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015

प्रति,

आयुक्त,
संस्थागत वित्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:-जनभागीदारी योजना एवं बाह्य वित्त पोषित परियोजना के प्रकरण राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में ।

जनभागीदारी योजना एवं बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित प्रकरणों पर निम्नांकित प्रक्रिया का पालन करने का निर्णय लिया गया है :--

(1) राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष जनभागीदारी योजना के प्रस्ताव बैठक में रखे जाने के पूर्व संस्थागत वित्त द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेगें । प्रेषित प्रस्तावों का परीक्षण वित्त विभाग की संबंधित बजट शाखा द्वारा भी किया जायेगा और अभिमत सहित संस्थागत वित्त भेजा जायेगा ।

(2) बाह्य पोषित परियोजनाओं के लिये संचालक, बजट, वित्त विभाग के नोडल अधिकारी होगें । राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष बाह्य पोषित योजनाओं के प्रस्ताव बैठक में रखे जाने के पूर्व संस्थागत वित्त द्वारा संचालक बजट को प्रेषित किये जायेंगे। प्रेषित प्रस्तावों का परीक्षण वित्त विभाग की संबंधित बजट शाखा द्वारा भी किया जायेगा । नोडल अधिकारी बाह्य पोषित परियोजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग के अंतिम अभिमत सहित संस्थागत वित्त को भेजेंगे ।

2/ जनभागीदारी योजना एवं बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रस्ताव निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायें :-

(1) संपूर्ण डी.पी.आर. (Detailed Project Report)
(2) आर.एफ.पी./आर.एफ.क्यू.
(3) एम.ओ.यू. (Memorandum of Understading)

3/ आयुक्त, संस्थागत वित्त द्वारा आवश्यकता अनुसार संबंधित विभाग से अभिमत पर उत्तर प्राप्त किया जायेगा । आयुक्त, संस्थागत वित्त की संतुष्टि उपरान्त ही राज्य स्तरीय साधिकार समिति से तिथि एवं समय लिये जाने का प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, वित्त को प्रस्तुत करेगा ।

हस्ता/-
(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृ.क्र. क्रमांक 1739/2343/2015/ई/चार भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, के स्टाफ आफीसर,
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, के निज सहायक,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. संचालक, संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश,
6. संचालक, बजट, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल
7. समस्त उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हस्ता/-

(सुषमा शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग